



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 01 अगस्त, 2023 / 10 श्रावण, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2023

संख्या: टी.पी.टी-ई(3)-41/2018-III.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59), की धारा 96 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, प्रारूप हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण नियम, 2023 बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें जन साधारण की सूचना हेतु राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के इन नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं; तो वह उन्हें उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई है/हैं पर प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:-

अध्याय-I

साधारण

1. संक्षिप्त नियम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (i) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) अभिप्रेत है;
- (ii) "अपील" से अधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 89 के अधीन दायर अपील का ज्ञापन अभिप्रेत है;
- (iii) "न्यायालय" से, वह स्थान जहां अधिकरण अपनी बैठक करता है, अभिप्रेत है;
- (iv) "प्रारूप" से, इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;
- (v) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार, अभिप्रेत है;
- (vi) "पक्षकार" से, अपीलकर्ता, प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अभिवक्ता या प्राधिकृत अभिकर्ता है;
- (vii) "अभिवक्ता" से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खण्ड(15) में यथा परिभाषित अभिवक्ता अभिप्रेत है;
- (viii) "पीठासीन अधिकारी" से राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ix) "पुनरीक्षण आवेदन" से धारा 90 के अधीन राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण को दिया गया आवेदन अभिप्रेत है;
- (x) "सचिव" से वह व्यक्ति, जो तत्समय अधिकरण के सचिव के कार्य का निर्वहन कर रहा है, अभिप्रेत है;
- (xi) "धारा" से अधिनियम की धारा, अभिप्रेत है;

(xii) "राज्य प्रतिनिधि" से राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों या राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से अधिकरण द्वारा जारी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अनुपस्थिति में उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त अधिकारी है, और

(xii) "अधिकरण" से धारा 89 की उप-धारा (2) के अधीन गठित राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत हैं।

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु इनमें परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय—II

मुख्यालय, बैठक और कार्यालय—समय

3. **मुख्यालय.**—(1) अधिकरण का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, जिला हमीरपुर में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा, जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाए।

(2) समस्त अपीलों और पुनरीक्षण आवेदनों की सुनवाई सामान्यतः मुख्यालय में की जाएगी:

परन्तु पीठासीन अधिकारी पक्षकारों को सम्यक् रूप से सूचित करने के पश्चात् यह निर्णय ले सकेगा कि अपील या पुनरीक्षण आवेदन को हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी अन्य स्थान पर सुना जाए।

4. **कार्यालय—समय.**—अधिकरण उसी समय के दौरान अपनी बैठक आयोजित करेगा, जैसा कि राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों के मामले में होता है।

अध्याय—III

अपील और पुनरीक्षण आवेदन

5. **अपील.**—(1) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अधिकरण में अपील की जा सकेगी:

परन्तु यदि व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्त करने की तारीख के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) कोई भी अपील एक से अधिक आदेश से संबंधित नहीं होगी और एक से अधिक व्यथित पक्षकार द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षरित और प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

(3) कोई भी अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में होगी, जिसमें संक्षेप में उस आदेश के आधारों का या आपत्ति का उल्लेख किया गया हो, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और उप-नियम (5) के अधीन विहित फीस की जमा रकम के रूप में दर्शाते हुए ट्रेजरी चालान के साथ अपील किए गए आदेश की मूल या प्रमाणित प्रति संलग्न होगी:

परन्तु यथा पूर्वोक्त किसी भी अपील को तब तक उचित रूप से किया गया नहीं समझा जाएगा, जब तक कि प्रतिवादियों के नाम ज्ञापन के केस-शीर्षक में वर्णित न हो और जब तक अपील ज्ञापन की प्रतियां उनके साथ-साथ मूल प्राधिकरण पर तामील करने हेतु एक साथ फाइल नहीं की जाए।

(4) अधिकरण, अपील ग्रहण किए जाने के पश्चात् पक्षकारों को तारीख, समय और स्थान के संबंध में कम से कम तीस दिन का नोटिस देगा, जिस पर अपील की सुनवाई की जाएगी और दोनों पक्षकार इस प्रकार के नोटिस की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर अधिकरण को दस्तावेजों की एक सूची भेजेंगे, जिस पर वे दो प्रतियों में ऐसे दस्तावेजों की प्रतियों के साथ एक साथ विश्वास करने का प्रस्ताव करते हैं:

परन्तु अधिकरण अपीलकर्ता द्वारा अपने विवेकाधिकार पर की गई याचिका पर, अपील की सुनवाई के लिए तीस दिन के उपरोक्त नोटिस के साथ और उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट चौदह दिन के भीतर पक्षकारों द्वारा विश्वास किए जाने वाले दस्तावेजों को पेश करने के लिए भी, यदि उनका समाधान हो गया है कि यथा विहित उपरोक्त अवधि न्याय की विफलता का कारण बनती है या अपील को निष्फल करती है और ऐसे मामलों में ऐसे नोटिस की अवधि को अपील ग्रहण किए जाने के पश्चात् कम से कम सात दिन तक सीमित कर सकेगा।

(5) अपील के लिए फीस पांच सौ रुपये होगी और "0041-यानों पर कर" शीर्ष के अधीन सरकारी खजाने में संदत्त की जाएगी।

6. पुनरीक्षण.—(1) अपील की प्रस्तुति, सुनवाई और निपटान की रीति को अधिकथित करने वाले नियम 5 के उपबंध पुनरीक्षण की याचिका की प्रस्तुति, सुनवाई और निपटान के संबंध में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) पुनरीक्षण के आवेदन के लिए फीस केवल पांच सौ पचास रुपये होगी और नियम 5 के उप-नियम (5) के उसी शीर्ष के अधीन सरकारी खजाने में संदत्त की जाएगी।

7. अभिवक्ता द्वारा दायर की गई अपील या पुनरीक्षण.—(1) यदि अभिवक्ता द्वारा सचिव को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी अपील या पुनरीक्षण आवेदन के साथ अभिवक्ता द्वारा सम्यक रूप से स्वीकार किया गया वकालतनामा संलग्न किया जाएगा तथा उस पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में यथा उपबंधित न्यायालय फीस स्टॉम लगी होगी।

(2) उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष पक्षकारों के अतिरिक्त प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण आवेदन में यथास्थिति क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण या दोनों में से किसी एक प्राधिकरण के सचिव को भी प्रतिवादी बनाया जाएगा।

(3) प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण आवेदन में, ज्ञापन में अपीलकर्ता या आवेदक और सभी प्रतिवादियों/विपक्षी पक्षकारों का नाम और पूरा पता भी दिया जाएगा।

8. अपील और पुनरीक्षण आवेदनों का रजिस्ट्रीकरण.—(1) अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्राप्त होने पर, सचिव उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख पृष्ठांकित करेगा और प्ररूप संख्या-I में उसकी प्रविष्टि करेगा। सचिव तत्पश्चात् उसकी जांच करेगा कि—

(क) क्या इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का प्राधिकार है;

(ख) क्या यह अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप है।

(2) यदि सचिव द्वारा यह पाया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण आवेदन अधिनियम या इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो वह सात दिन के भीतर त्रुटि को दूर करने के लिए पक्षकारों को निर्देश देने के लिए एक पृष्ठांकन करेगा और इसे प्ररूप संख्या-I के टिप्पणी स्तम्भ में दर्ज करवाएगा और इसे

अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चिपकाएगा और पुनरीक्षण पर आवेदन अपील प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को भी सूचित करेगा।

(3) यदि त्रुटि या त्रुटियों को विहित तारीख के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, तो सचिव उस आशय की रिपोर्ट अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को देगा जो पक्षकार और राज्य प्रतिनिधि, यदि कोई हो, को प्ररूप-II में ऐसी सुनवाई की सूचना देकर मामले की सुनवाई कर सकेगा।

(4) ऐसी सुनवाई के लिए नियत तारीख पर अधिकरण का पीठासीन अधिकारी पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, यदि कोई हो, अपील या पुनरीक्षण आवेदन के ग्रहण या उसकी अस्वीकृति या ऐसे अन्य आदेशों को स्वीकार करने का निर्देश दे सकेगा, जैसा वह उचित समझे। जहाँ अपील या पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, वहाँ अधिकरण ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

(5) जब कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो सचिव ऐसी अपील या पुनरीक्षण आवेदन के विवरण प्ररूप संख्या-III में दर्ज करवाएगा और ऐसी प्रविष्टियों को प्रत्येक वर्ष उस क्रम के अनुसार क्रमांकित किया जाएगा जिसमें वे रजिस्ट्रीकृत हैं। यदि अपील का ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन नियमानुसार है, तो अधिकरण, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण आवेदन को ग्रहण करेगा:

परंतु जहां एक ही आदेश के विरुद्ध एक से अधिक अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर किए जाते हैं, वहां उन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जाएगा।

9. अपील या पुनरीक्षण के ग्रहण के पश्चात् प्रक्रिया.— यदि कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन ग्रहण किया गया है, तो अधिकरण सुनवाई की तारीख तय करेगा और सुनवाई के लिए तय की गई तारीख की सूचना संबंधित पक्षकारों को पावती के साथ प्ररूप संख्या-IV में रजिस्ट्रीकृत डाक से जारी की जाएगी। अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन की एक प्रति यथास्थिति प्रतिवादियों या विरोधी पक्षकारों को प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय-IV

10. सुनवाई, स्थगन और अंतिम आदेश.—सुनवाई के लिए नियत तारीख या किसी अन्य तारीख, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जा सकेगी पर आवेदक को उसकी अपील या आवेदन के समर्थन में सामान्यतः पहले सुना जाएगा और प्रतिवादी या उसके अभिवक्ता या अभिकर्ता और राज्य प्रतिनिधि को, यदि आवश्यक हो, उसके बाद सुना जाए, जिसके पश्चात् अपीलकर्ता या आवेदक उत्तर देने का हकदार होगा।

11. अतिरिक्त साक्ष्य.—(1) अपील या पुनरीक्षण आवेदन के पक्षकार, निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाए, अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी पो करने के हकदार नहीं होंगे:

- (क) यदि प्राधिकारी, जिसके आदेश से अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ने साक्ष्य को ग्रहण करने से इनकार किया है, जिसे ग्रहण किया जाना चाहिए था, या
- (ख) यदि अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की मांग करने वाला पक्षकार अधिकरण का समाधान करता है कि ऐसे साक्ष्य सम्यक् तत्परता का प्रयोग करते हुए भी उसके ज्ञान में नहीं थे या अपील या पुनरीक्षण के अधीन आदेश पारित होने के समय या उसके पूर्व उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था; या
- (ग) यदि अधिकरण इसे न्यायसंगत आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाने हेतु किसी दस्तावेज को पेश करने या किसी साक्षी की परीक्षा करने की अपेक्षा करता है; या

(घ) किसी अन्य पर्याप्त कारण से, अधिकरण ऐसे साक्ष्य या दस्तावेजों को पेश करने या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा:

परन्तु जहां ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वहां दूसरा पक्षकार खंडन साक्ष्य यदि कोई हो, पेश करने का हकदार होगा।

(2) यदि अधिकरण की राय है कि उसके समक्ष किसी मामले के संबंध में किसी साक्षी की परीक्षा की जानी चाहिए तो वह अपने समक्ष उसकी परीक्षा करने के स्थान पर, यथास्थिति संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण या अधिवक्ता या ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को कमीशन जारी कर सकेगा, जैसा वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे जैसा कि ऐसे साक्षी की परीक्षा के प्रयोजन के लिए सविलि प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI में उल्लिखित है।

12. अतिरिक्त साक्ष्य के लिए व्यक्तियों को समन.—(1) जहां अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी है वहां कोई पक्षकार, जो किसी व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा करना चाहता है या दस्तावेज प्रस्तुत करवाना चाहता है, वह सचिव को उस व्यक्ति को समन करने के लिए आवेदन कर सकेगा, जिसकी उपस्थिति या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने या दोनों के लिए अपेक्षित है और सचिव प्ररूप संख्या—V में संबंधित व्यक्ति को तामील के लिए समन जारी करेगा।

(2) जहां समन किया जाने वाला व्यक्ति लोक सेवक है वहां पक्षकार, सचिव के समक्ष समन के आवेदन के साथ धन की ऐसी रकम, जो अधिकरण में आने के लिए और वापस जाने और/या एक दिन की उपस्थिति के लिए बुलाए गए ऐसे व्यक्ति की यात्रा और अन्य खर्चों को चुकाने के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है, जमा करेगा।

(3) जहां समन किया जाने वाला व्यक्ति लोक सेवक नहीं है, वहां पक्षकार के आवेदन पर अधिकरण संबंधित व्यक्ति को समन कर सकेगा।

13. स्थगन.—(1) अधिकरण ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे और किसी भी स्तर पर किसी भी अपील या पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई स्थगित कर सकेगा।

(2) स्थगन के लिए आवेदन, पक्षकार या मामले के तथ्यों से अवगत व्यक्ति के शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) स्थगन के लिए आवेदन सहित सभी आवेदनों पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में उपबंधित अनुसार न्यायालय फीस के साथ स्टाम्पित करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह उपनियम राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या अन्य परिवहन प्राधिकरण के अधिकरण के समक्ष पेश होने वाले पर लागू नहीं होगा।

14. अपीलकर्ता या आवेदक की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया.—(1) यदि अपील या पुनरीक्षण आवेदन लंबित रहने के दौरान किसी अपीलकर्ता या पुनरीक्षण आवेदक की मृत्यु हो जाती है, और इस पर तब तक आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि उसके विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता, अधिकरण आगामी कार्यवाही को स्थगित करेगा जिससे प्रतिनिधि अपील में पक्षकार बनने के लिए, या, यथास्थिति, पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सके। यदि अपीलकर्ता या पुनरीक्षण आवेदक की मृत्यु की तारीख से नब्बे दिन के भीतर विधिक प्रतिनिधि ऐसा करने में विफल रहता है, तो अपील या पुनरीक्षण आवेदन यथास्थिति, ऐसे मृतक अपीलकर्ता या आवेदक के संबंध में समाप्त हो जाएगा।

(2) यदि किसी अपील या पुनरीक्षण आवेदन के लंबित रहने के दौरान किसी प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, और उसके विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाए बिना उस पर आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकती, तो अपीलकर्ता या आवेदक, यथास्थिति, प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार की मृत्यु के नब्बे

दिन के भीतर विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकारों के रूप में सम्मिलित करने के लिए अधिकरण में आवेदन करेगा ऐसा करने से विफल रहने पर, मृतक प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार के संबंध में अपील या पुनरीक्षण आवेदन समाप्त हो जाएगा ।

(3) उप-नियम (1) और (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, सुनवाई की समाप्ति और आदेश पारित करने के मध्य किसी भी पक्षकार की मृत्यु के कारण अपील या पुनरीक्षण आवेदन का कोई न्यूनीकरण नहीं होगा, और ऐसे मामले में ऐसी अपील या पुनरीक्षण में पारित आदेश का वही प्रभाग होगा, मानो उसे मृत्यु होने से पूर्व पारित किया गया हो ।

15. विधिक प्रतिनिधि का अवधारण.—(1) यदि किसी अपील या पुनरीक्षण आवेदन में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति मृत अपीलकर्ता या आवेदक का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं, तो इस प्रकार के प्रश्न को अधिकरण द्वारा संक्षेप में यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य लेने के पश्चात्, अवधारित किया जाएगा ।

(2) जब कभी किसी मामले में, जहां अपीलकर्ता या आवेदक की मृत्यु हो गई है, न्यूनीकरण का आदेश पारित किया गया है, उसका विधिक प्रतिनिधि और ऐसे मामले में जहां प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है, अपीलकर्ता या आवेदक ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को आदेश को रद्द करने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और अधिकरण पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर अपना समाधान होने पर न्यूनीकरण के आदेश को रद्द कर सकेगा और अपील या पुनरीक्षण आवेदन पर आगामी कार्यवाही कर सकेगा ।

(3) जहां आदेश की तारीख से साठ दिन के पश्चात् उप-नियम (2) के अधीन आवेदन फाइल किया गया है, वहां अधिकरण इस बात का समाधान होने पर कि उसके पास समय पर आवेदन न करने का न्यायोचित और पर्याप्त कारण है या कि उसे पर्याप्त और न्यायसंगत कारणों से ऐसा आवेदन करने से रोका गया है, इस प्रयोजन के लिए दायर पृथक आवेदन पर, देरी को माफ (क्षमा) कर सकेगा ।

16. आदेश.—(1) अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और सुनवाई पूर्ण होने के तुरंत पश्चात् या इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तारीख पर खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा ।

(2) यदि आदेश सुनाने की तारीख नियत नहीं है, तो पक्षकारों को नोटिस देकर खुले न्यायालय में आदेश सुनाया जाएगा ।

(3) अधिकरण उस प्राधिकारी को आदेश की एक प्रति तामील करेगा जिसके आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

17. दस्तावेजों को लौटाना.—आदेश पारित होने के तुरंत पश्चात् दस्तावेजों को संबंधित पक्षकारों को उनसे ऐसे वचनबंध की प्राप्ति पर कि जब भी अधिकरण मांगेगा तो वे दस्तावेज पेश करेंगे वापस किया जाएगा ।

अध्याय—V

प्रकीर्ण

18. अभिलेखों और प्रतियों का निरीक्षण.—(1) अधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए कोई भी पक्षकार, सचिव को किसी भी दस्तावेज के निरीक्षण के लिए, या किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति और अधिकरण के आदेश और मूल प्राधिकरण के आदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) प्रतियों के लिए या दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन यथास्थिति प्ररूप संख्या—VI या प्ररूप संख्या—VII में लिया जाएगा और आवेदक का पूरा नाम और पता, उन आदेशों के दस्तावेजों की तारीख और

विवरण, जिनकी प्रतियां अपेक्षित हैं या जिनका निरीक्षण किया जाना है और जिस प्रयोजन के लिए वे अपेक्षित हैं, का उल्लेख किया जाएगा।

(3) निरीक्षण या प्रतिलिपि के लिए ऐसे प्रत्येक आवेदन पर पचास पैसे के मूल्य के न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाए जाएंगे।

(4) (क) दस्तावेजों या आदेशों की प्रमाणित प्रतियां फुलस्केप पेपर पर दोनों में से किसी एक ओर एक इंच हाशिए के साथ तैयार की जाएगी और डबल स्पेस में टाईप की जाएगी।

(ख) दस्तावेजों या आदेशों की प्रमाणित प्रतियां तैयार करने की लागत के लिए खंड (ग) में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर संबंधित पक्षकार को सचिव द्वारा परिदत्त की जाएगी।

(ग) प्रमाणित प्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिए न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में दो रुपए की फीस ली जाएगी।

(5) यदि सचिव को किसी दस्तावेज की प्रति प्रदान करने के औचित्य के बारे में कोई संदेह होता है, तो वह आवेदन को पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखेगा और उसके आदेश के अनुसार कार्य करेगा।

19. नोटिस की तामील.—(1) इन नियमों के अधीन जारी किए जाने हेतु अपेक्षित नोटिस, अपील या पुनरीक्षण आवेदन में दिए गए पते के अनुसार पावती के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पक्षकारों को भेजे जाएंगे। प्राप्तकर्ता, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिवक्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता जिसको परिदत्त किया गया है के हस्ताक्षर वाली पावती या डाक प्राधिकारी द्वारा इस प्रमाण का पृष्ठांकन कि प्राप्तकर्ता द्वारा नोटिस को अस्वीकार किया गया है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न किया जाए, इस प्रकार के नोटिस की तामील के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

(2) जहां अधिकरण का समाधान हो जाता है कि प्राप्तकर्ता अपवंचन कर रहा है, या सामान्य रीति से नोटिस की तामील करना संभव नहीं है, वह यह निर्देश दे सकेगा कि नोटिस रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पक्षकार के अंतिम ज्ञात पते पर भेजा जाए और नोटिस की एक प्रति इसके नोटिस बोर्ड पर चरपा की जाए। इस प्रकार दिया गया नोटिस पर्याप्त समझा जाएगा।

20. अभिलेखों और रजिस्ट्रों का अनुरक्षण और संरक्षण.—(1) सभी विविध याचिकाओं को प्ररूप—VIII में और क्रमशः क्रमांकित कर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण पर दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियों के लिए आवेदन प्ररूप संख्या—IX में रजिस्टर में दर्ज और क्रमशः क्रमांकित किया जाएगा।

21. अभिलेखों का वर्गीकरण.—(1) अधिकरण के अभिलेखों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाएगा.—

(I) धारा 89 के अधीन अपील;

(II) धारा 90 के अधीन पुनरीक्षण; और

(III) प्रकीर्ण

22. न्यायालय या अधिकरण में अभिलेख की व्यवस्था.—(1) प्रत्येक अभिलेख को साधारणतया उसके सामने दर्शाई गई अवधि के लिए संरक्षित रखा जाएगा।

नस्ति क	6 वर्ष
नस्ति ख	3 वर्ष
नस्ति ग और ग—I	1 वर्ष

(2) खंड (i) या नियम 21 के अधीन प्रत्येक अभिलेख में चार प्रकार की नस्तियां होंगी, नस्ति क, ख, ग और ग-I ।

(3) नियम 21 के खंड (ii) और (iii) के अधीन प्रत्येक अभिलेख में ग और ग-I नस्तियां सम्मिलित होंगी ।

(4) नस्ति क में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(I) विषय—सूची या अनुक्रमणिका पृष्ठ की तालिका;

(II) आदेश—पत्रक;

(III) अपील;

(IV) निर्णय या आदेश;

(V) प्रतिवादियों द्वारा दायर विरोध यदि कोई हो;

(VI) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति, यदि कोई हो ।

5. नस्ति ख में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

(I) विषय सूची;

(II) राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुसूची;

(III) निर्णय या आदेश;

(IV) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से प्राप्त निर्णय की प्रति, यदि कोई हो ।

6. नस्ति ग में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

(I) विषय सूची;

(II) आदेश—पत्रक;

(III) पुनरीक्षण ज्ञापन;

(IV) अधिकरण द्वारा दर्ज समस्त साक्ष्य;

(V) पैरा—वार रिपोर्ट;

(VI) साक्ष्य में ग्रहण किए गए दस्तावेजों की सूची (दस्तावेजों के साथ) ।

7. नस्ति ग में सम्मिलित होगा:—

(I) विषय सूची की तालिका;

(II) विवाद से संबंधित अन्य समस्त कागजात, अर्थात्—

- (क) न्यायालय या अकिरण से जारी नोटिस;
- (ख) उपस्थिति का ज्ञापन;
- (ग) स्थगन के लिए आवेदन;
- (घ) हाजिर;
- (ङ) अन्य पत्राचार।

23. अभिलेखों का परिरक्षण.—निम्नलिखित मामलों में अभिलेखों को केवल एक वर्ष के लिए परिरक्षित किया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) जहां मामले में कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं होता है; और
- (ख) जहां अपीलकर्ता या आवेदक के व्यतिक्रम के कारण मामले को खारिज कर दिया गया है।

24. न्यायालय या अधिकरण में अभिलेखों का तैयार करना.—(1) विषय सूची दिन-प्रतिदिन अंग्रेजी में लिखी जाएगी और फाइल में समस्त कागज-पत्र उसी क्रम में दर्शाए जाएंगे जिस क्रम में उन्हें अधिकरण के समक्ष दाखिल किया था। ऑर्डर शीट (आदेश पत्रक) हेतु एक अलग क्रम संख्या (रोमन अंक में) समनुदेशित की जाएगी और फाइल में अन्य कागज पत्र को पृष्ठ चिह्न देते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(2) किसी कागज का एक फाइल से दूसरी फाइल में स्थानांतरण दोनों फाइलों की सारणी में नोट किया जाएगा।

(3) किसी भी मामले में दाखिल किए गए दस्तावेज और प्रदर्श विषय सूची में दर्ज नहीं किए जाने हैं, परन्तु विषय सूची में उनकी विवरणी प्रदर्शित की जानी है।

25. ऑर्डर शीट (आदेश-पत्रक).—(1) अधिकरण के आर्डर-शीट (आदेश-पत्रक) अंग्रेजी में लिखी जाएगी और प्रथम से अन्तिम तक की कार्यवाही की प्रगति दर्शित करने के लिए समय-समय पर अधिकरण द्वारा पारित समस्त आदेश इसमें अन्तर्विष्ट होंगे।

(2) आर्डर-शीट (आदेश-पत्रक) में बड़े आदेशों को नहीं लिखा जाएगा। यह अलग शीट (पत्रक) में लिखा जाएगा, परन्तु आदेश का टिप्पण और तारीख जब यह किया गया था इसमें प्रविष्टिकृत किए जाएंगे।

26. मामला अभिलेखों की व्यवस्था.—(1) प्रत्येक कार्यवाही में लिखित कथन और अतिरिक्त लिखित कथन और अन्य कागज-पत्र संलग्न किए जाएंगे जैसे सम्बन्धित फाइलों से मामला अग्रसर होता है, और न्यायालय की सुविधा हेतु समुचित रूप से व्यवस्थित किए जाएंगे। दिन-प्रतिदिन अभिलिखित किए गए अभिसाक्ष्यों को परीक्षा के क्रम में रखा जाएगा।

(2) अपीलकर्ता/आवेदक के लिए चिह्नित दस्तावेज पर अंक 1, 2 और 3 इत्यादि अंकित किया जाएगा और प्रत्यर्थी विरोधी पक्षकार दस्तावेज ए., बी., सी. इत्यादि अंकित किए जाएंगे। ऐसे दस्तावेजों की अलग सूची (एक आवेदक के लिए और दूसरी प्रत्यर्थी के लिए) को पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जाएगा। इन सूचियों में प्रविष्टियां दिन-प्रतिदिन की जाएंगी। जब कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाता है, तो उसे तुरंत पेश करने वाले व्यक्ति को लौटाया जाएगा।

27. रजिस्ट्रों का रख-रखाव.—अधिकरण, प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित अन्य रजिस्टारों के अलावा, न्यायालय के कार्य के लिए निम्नलिखित रजिस्टारों का रख-रखाव करेगा, अर्थात्:—

- (i) अधिकरण के समक्ष दाखिल की गई अपीलों का रजिस्टर (प्ररूप संख्या III में);
- (ii) धारा 90 के अधीन पुनरीक्षण का रजिस्टर (इस धारा के अधीन शिकायतों को लाल स्याही में नोट कर लिया जाएगा);
- (iii) प्रकीर्ण न्यायिक मामलों का रजिस्टर (प्ररूप संख्या XI में);
- (iv) न्यायालय फीस का रजिस्टर (प्ररूप संख्या XII में);
- (v) निपटान की गई अपीलों का सांख्यिकीय और कालिक रजिस्टर (प्ररूप संख्या XIII में);
- (vi) प्रतिलिपियों के लिए आवेदन का रजिस्टर (प्ररूप संख्या IX में);
- (vii) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध दाखिल की गई रिट याचिका का रजिस्टर (प्ररूप संख्या XV में);
- (viii) अभिलेखों को विनष्ट करने हेतु रजिस्टर (प्ररूप संख्या XV में);

28. रजिस्ट्रों का परिरक्षण.—अधिकरण में रखे गए रजिस्ट्रों को सामान्यतया नीचे यथा उल्लिखित प्रत्येक मद के सामने नोट की गई अवधियों के लिए परिरक्षित किया जाएगा:—

- (i) अधिकरण के समक्ष राय की गई अपीलों और पुनरीक्षणों का रजिस्टर—बारह साल
- (ii) प्रकीर्ण न्यायालय मामलों का रजिस्टर—तीन साल
- (iii) न्यायालय फीस का रजिस्टर—छह साल
- (iv) सांख्यिकीय और कालिक रजिस्टर—बारह साल
- (v) आवेदन रजिस्टर की प्रतिलिपि—तीन साल
- (vi) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए रिट मामलों का रजिस्टर—तीन साल
- (vii) अभिलेखों के विनष्ट करने हेतु रजिस्टर—बारह साल

29. अपील की खारिजी और व्यतिक्रम के लिए खारिज की गई अपील का पुनः ग्रहण किया जाना.—

(1) यदि नियत दिन या किसी अन्य दिन जिसको सुनवाई स्थगित की जा सकेगी को, जब अपील सुनवाई के लिए पुकारी जाती है तब अपीलकर्ता या उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है या अपील में त्रुटि को दूर नहीं करता है तो अधिकरण ऐसा आदेश कर सकेगा कि अपील खारिज की जाए।

(2) अपील खारिज होने की सूचना उस प्राधिकारी को दी जाएगी जिसके आदेश से अपील की गई है।

(3) जब उक्त कारणों में से किसी एक के लिए अपील खारिज कर दी जाती है, तो अपीलकर्ता अपील खारिज होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और जहां यह साबित हो जाता है कि जब अपील को सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो उसे किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से या अपील ज्ञापन पर किसी त्रुटि दोष को दूर करने से रोका गया था तो अधिकरण ऐसी अपील को ऐसी शर्तों जैसी वह उचित समझे फाइल करने के लिए बहाल कर सकेगा।

30. विवरणी प्रस्तुत करना.—अधिकरण अगले महीने के प्रथम पक्ष के अवसान से पूर्व प्ररूप संख्या—xvi में त्रैमासिक विवरणी राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

31. सचिव के कर्तव्य.—(1) सचिव कार्यकारी अधिकारी होगा और अधिकरण के प्रशासनिक कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सचिव लेख पुस्तकों सहित समस्त रजिस्ट्रों के उचित रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और कार्यालय का समय-समय पर निरीक्षण करेगा और अधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वह सम्बन्धित प्राधिकारियों को समय पर समस्त आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा और प्रतिलिपि परेषणों या अभिलेखों को प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा और अधिकरण के सम्बन्धित निर्णयों समस्त रिट विषयों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों और अध्यक्षों की अनुपालना करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) पीठासीन अधिकारी के आकस्मिक अवकाश या प्रवास पर अनुपस्थिति के दौरान सचिव, अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के नियमित कर्तव्यों का प्रभारी बना रहेगा। तथापि, वह पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में अपीलों और पुनरीक्षणों को स्थगित करने के सिवाय कोई न्यायिक आदेश पारित नहीं करेगा।

32. अधिकरण की मुहर और तारीख.—(1) अधिकरण की एक मुहर होगी, जो अधिकरण द्वारा जारी किए गए समस्त आदेशों और निर्णयों और अन्य महत्वपूर्ण कागजपत्रों और नोटिसों पर लगाई जानी चाहिए और यह एक मात्र पीठासीन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगी या सचिव को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए परिदत्त की जाए।

(2) अधिकरण की तारीख की मुहर भी होगी जो अधिकरण के समक्ष दायर या अधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त कागजपत्रों पर लगाई जाएगी। यह पीठासीन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगी, जो इसे सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

33. स्थानीय निरीक्षण और यानों तथा अन्य सम्पत्तियों का निरीक्षण.—(1) अधिकरण का पीठासीन अधिकारी किसी भी समय उसके समक्ष अपील या पुनरीक्षण के लम्बित रहने के दौरान, स्थानीय निरीक्षण करने के प्रयोजन से स्थल या सम्बन्धित यानों का दौरा कर सकेगा या स्थानीय निरीक्षण की तारीख के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकारों को सम्यक् नोटिस देने के पश्चात्, कार्यवाहियों से सुसंगत सूचना देने में सक्षम संभाव्य किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है।

(2) कोई भी पक्षकार या ऐसे पक्षकार का प्राधिकृत प्रतिनिधि या उसका अधिवक्ता, अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के साथ स्थानीय निरीक्षण के लिए जा सकेगा।

(3) स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात् अधिकरण का पीठासीन अधिकारी प्रेक्षण किए गए किन्हीं तथ्यों का ज्ञापन में संक्षेप में नोट करेगा तथा ऐसा ज्ञापन अपील या पुनरीक्षण के रिकॉर्ड के भागरूप में होगा।

34. निरीक्षण के लिए मोटर यान को प्रस्तुत करना.—अधिकरण, यदि वह उचित समझे, सम्बद्ध स्वामी के परामर्श से आवश्यक, उसके द्वारा उल्लिखित किए जाने वाले किसी विशिष्ट समय और स्थान पर निरीक्षण के लिए स्वामी द्वारा अपील या पुनरीक्षण में सम्मिलित मोटर यान को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

35. अंतवर्ती मामलों में और किसी भी अन्य कार्यवाहियों में, अधिकरण साक्षी की परीक्षा करेगा, प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के सार का संक्षिप्त ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसे ज्ञापन को पीठासीन अधिकारी द्वारा, बैंच क्लर्क द्वारा पढ़े जाने और स्पष्ट किए जाने तथा सम्बद्ध साक्षी द्वारा सही स्वीकार किए जाने के पश्चात् हस्ताक्षरित किया जाएगा और यह रिकॉर्ड का एक भाग होगा:

परन्तु किसी चिकित्सीय साक्षी या किसी अन्य विशेषज्ञ साक्षी के साक्ष्य को लगभग शब्दशः अभिलिखित किया जाएगा।

36. डायरी का रख-रखाव.—अधिकरण अपने समक्ष की गई अपीलों या पुनरीक्षणों की कार्यवाहियों की एक संक्षिप्त डायरी रखेगा।

37. आशुलिपिक के कर्तव्य.—(1) आशुलिपिक टाइपिस्ट, निर्णयों, अपीलों और पुनरीक्षण में आदेश को लिखने के लिए नियोजित किया जा सकेगा, परन्तु पीठासीन अधिकारी या अधिकरण इस आशय का एक प्रमाण-पत्र संलग्न करता है कि निर्णय उसके श्रुतलेख पर दर्ज किया गया है और प्रत्येक पृष्ठ को अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करता है।

(2) आशुलिपिक, आशुलिपि पुस्तकों को रिकॉर्ड रूम में भेजेगा।

38. परिसीमा अधिनियम का लागू होना.—परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध, जहां तक हो सके अधिकरण के समक्ष अपीलों पर लागू होंगे।

39. रोक आदेश.—आंशिक अनुपालना या अस्थायी उपायों को अपनाने जैसी शर्तों के अध्यक्षीन, जैसे कि अधिकरण प्रत्येक मामले में लागू करना उचित समझता है, यह अपील या पुनरीक्षण के निर्णयों के आने तक अपील किए गए आदेश को निलंबित कर सकेगा।

40. अभिलेखों का परेषण.—अधिकरण अपने विवेकानुसार अपीलों और पुनरीक्षण के निपटारे के अभिलेख को हमीरपुर में राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश के रिकॉर्ड रूम में परेषित कर सकेगा।

41. खातों का रख-रखाव.—परिवहन विभाग से संलग्न वित्तीय सलाहकार के अनुदेशों के अधीन, सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसार अधिकरण के कार्यालय के उचित खातों को सचिव द्वारा एक या एक से अधिक लिपिक की सहायता से बनाए रखा जाएगा।

42. प्रकीर्ण मामले.—(1) समस्त रोक विषयों, पुनःस्थापन विषयों और पक्षकारों के प्रतिस्थापन से सम्बन्धित विषयों और उपशमन कार्यवाहियों के विषयों में, कार्यवाही के ऐसे प्रत्येक विषयों के विरोध में प्रकीर्ण मामले के रूप में प्रत्येक मामले में रजिस्टर होंगे।

(2) अधिकरण का सचिव ऐसे प्रकीर्ण मामलों का रजिस्टर रखेगा।

43. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन से सम्बन्धित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो यह विनियम के लिए परिवहन विभाग में सरकार को भेजा जाएगा।

44. निरसन और व्यावृत्तियां.—हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपील अधिकरण नियम, आदेश, अधिसूचना इत्यादि, यदि कोई हो, को यदि पूर्व में अधिसूचित/जारी किया गया हो, को एतद्वारा, निरसित किया जाता है:

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित नियमों, अधिसूचना, आदेश इत्यादि के किन्हीं उपबन्धों के अधीन जारी किए गए आदेश, कोई नियुक्ति बात या कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

आर० डी० नजीम,
प्रधान सचिव (परिवहन)।

प्ररूप संख्या—I

[नियम 8(1) देखें]

अपील/पुनरीक्षण आवेदनों की दैनिक सूची

20.....का दिवस.....माह.....
के समक्ष।

पुनरीक्षण/अपील के रजिस्टर में श्रेणी और संख्या	प्रथम अपीलार्थी/आवेदक का नाम	प्रथम प्रत्यार्थियों/विरोधी पक्षकार का नाम	अपील/पुनरीक्षण के लिए नियत प्रथम तारीख	प्रयोजन समन या नोटिस त्रुटि आदि जिसके लिए तारीख नियत की गई है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्ररूप संख्या-II

[नियम 8(3) देखें]

हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अधिकरण

20.....की अपील संख्या.....
 पुनरीक्षण संख्या.....
 अपीलार्थी/आवेदक/याचिकाकर्ता.....

बनाम

प्रतिवादी/विरोधी पक्षकार.....
 सेवा में

.....

(उपरोक्त अपीलार्थी/विरोधी पक्षकार का नाम/पता)

आपको सूचना दी जाती है कि.....कार्यवाहियां,.....
 में.....द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आपके द्वारा दायर की गई अपील/पुनरीक्षण को राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के समक्ष आदेशों के लिए रखा गया है, क्योंकि जैसे कि आपको पहले ही सूचित किया गया है कि यह त्रुटिपूर्ण है। तारीख को राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण मामले पर सुनाई करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सुनवाई हो तो, आपको व्यक्तिगत रूप में या अपने अभिवक्ता या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। यदि आप ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण आपकी अनुपस्थिति में आदेश पारित करेगा।

मेरे हस्ताक्षर और राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण की मुहर से जारी।

मुहर.....

आदेश द्वारा,

तारीख.....

सचिव।

राज्य प्रतिनिधि का प्रतिलिपी

प्ररूप संख्या-III

[नियम 8(5) और 27(i)(ii)देखें]

राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण में संस्थित मोटर यान अपीलों/पुनरीक्षणों का रजिस्टर

तारीख.....

क्रम संख्या	अपील/पुनरीक्षण की तारीख	अपीलार्थी/याचिकाकर्ता का नाम और पता	प्रतिवादी/विरोधी पक्षकार का नाम और पता	प्राधिकारी जिसने अपील/पुनरीक्षण में आदेश पारित किया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कार्यवाही की संख्या और वर्ष	आदेश की तारीख	आदेश की विशिष्टियां	अपील/पुनरीक्षण के निर्णय की तारीख	अपील/पुनरीक्षण का आदेश
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

संस्थित करने और निपटारे के मध्य दिनों की वास्तविक संख्या	तारीख जिसको उच्च न्यायालय को अभिलेख भेजा गया	तारीख जिसको उच्च न्यायालय से अभिलेख प्राप्त हुआ	अभिलेख कक्ष को परिदान की तारीख
(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप संख्या-IV

[नियम 9देखें]

राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, हिमाचल प्रदेश

अपीलार्थी

पुनरीक्षण आवेदक
बनामअपील, पुनरीक्षण आवेदक
संख्या

प्रतिवादी/विरोधी पक्षकार

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

सेवा में

(उपरोक्त पक्षकारों के नाम)

आपको सूचना दी जाती है कि.....कार्यवाहियां, तारीख में द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध ऊपर नामित अपीलार्थी/आवेदक द्वारा दायर अपील/पुनरीक्षण को राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण हमीरपुर में तारीख.....को 10 बजे (पूर्वाहन) सुनवाई के लिए रखा गया है।

आप उक्त तारीख या ऐसी तारीख जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो को व्यक्तिगत रूप में या अपने अभिवक्ता या अपने मामलों को प्रस्तुत करने के लिए अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकेंगे और ऐसा न होने पर अपील/पुनरीक्षण आवेदन का आपकी अनुपस्थिति में निपटारा किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण की मुहर से जारी।

मुहर.....

आदेश द्वारा,

तारीख.....

सचिव।

अपील या पुनरीक्षण की प्रतियों, ज्ञापन और आदेश की प्रति सहित राज्य प्रतिनिधि की प्रतिलिपि।

टिप्पण.—प्रत्येक प्रतिवादी के भेजे गए नोटिस के साथ अपील या पुनरीक्षण आवेदन की प्रति संलग्न की जाएगी।

प्ररूप संख्या—V

[नियम 12(1) देखें]

राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, हिमाचल प्रदेश

.....आवेदन की अपील.....संख्या

अपीलार्थी/आवेदक

प्रतिवादी/विरोधी पक्ष

उपरोक्त अपील/याचिका में आवेदक/याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य देने के लिए आपकी उपस्थिति अपेक्षित है, अतः आपका अभिकरण के समक्षबजे व्यक्तिगत रूप से और/या..... (प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण) के साथ लाने/प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित रहना अपेक्षित है।

आपके यात्रा और अन्य व्ययों और एक दिन के निर्वाह भत्ते के लिए इस अधिकरण में.....रूप की रकम जमा की जाती है और इस अधिकरण के समक्ष आपके हाजिर होने पर आपको संदत्त किए जाएंगे। यदि आप बिना किसी विधियुक्त कारण के बिना इस आदेश की अनुपालना में असफल रहते हैं तो अधिकरण आप पर 1000 रुपए से अनधिक ऐसा जुर्माना, जैसा यह उचित समझे अधिरोपित जुर्माना कर सकेगा अथवा आपकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को कुर्क करने और कथित जुर्माने की रकम, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए उसे बेचने के आदेश दे सकेगा।

टिप्पण.—(1) यदि आपको केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने को बुलाया गया है, साक्ष्य देने के लिए नहीं, तो ऐसे दस्तावेजों के इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के दिन व समय में इस समन की अनुपालना की गई समझी जाएगी।

(2) यदि आपको उपरोक्त दिन से आगे रोका जाता है तो विनिर्दिष्ट दिन से आगे प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिए.....रुपए की रकम प्रदान की जाएगी।

प्ररूप संख्या—VI

[नियम 18 (2) देखें]

दस्तावेजों या आदेशों की प्रति के लिए आवेदन—पत्र

सेवा में,

सचिव,
राज्य परिवहन अपील अधिकरण,
हिमाचल प्रदेश।

(25 पैसे न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाया जाएगा)

1. आवेदक का पूरा नाम और पता
2. दस्तावेज या आदेश का विवरण, जिसकी प्रति अपेक्षित है.....
3. परिवहन अपीलीय अधिकरण की नस्ति जिसमें आदेश का दस्तावेज उपलब्ध है.....
4. जिस प्रयोजन के लिए प्रति अपेक्षित है.....

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

प्ररूप संख्या—VII

[नियम 18(2) देखें]

दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन—पत्र

सेवा में,

सचिव,
राज्य परिवहन अपील अधिकरण,
हिमाचल प्रदेश।

(25 पैसे न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाया जाएगा)

1. आवेदक का पूरा नाम और पता.....
2. निरीक्षण किए जाने के लिए मांगे गये दस्तावेजों का विवरण.....

3. रिकॉर्ड की संदर्भ संख्या जिसमें यह उपलब्ध है.....
4. जिस प्रयोजन के लिए निरीक्षण अपेक्षित है.....

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

प्ररूप संख्या-VIII

[नियम 20(1) देखें]

प्रकीर्ण याचिकाओं का रजिस्टर

क्रम संख्या	प्रकीर्ण याचिकाओं की संख्या और अपील या पुनरीक्षण आवेदन की संख्या	आवेदन की तारीख	निपटान की तारीख	परिणाम	प्रारम्भ और निपटान के मध्य आने वाले दिनों की वास्तविक संख्या
1	2	3	4	5	6

प्ररूप संख्या-IX

[नियम 20(2) और 27(VI)देखें]

राज्य परिवहन अपील अधिकरण के न्यायालय में प्रतियों के लिए आवेदन का रजिस्टर

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	आवेदन की तारीख	दस्तावेज की प्रकृति जिसकी प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया गया है और वर्ष की संख्या और मामला जिसमें दायर किया गया है।	फोलियो और स्टाम्प की अपेक्षित संख्या को अधिसूचित करने की तारीख	अपेक्षित फोलियो और स्टाम्प लगाने की तारीख या उसके संबंध में कमी
1	2	3	4	5	6

जिस तारीख को कॉपी किए जाने वाले दस्तावेज कॉपी करने वाले विभाग में प्राप्त हुए थे	दायर की गई न्यायालय फीस की रकम	फोलियो की संख्या और प्रयुक्त न्यायालय फीस की रकम	जिस तारीख को प्रतिलिपि परिदान लिए तैयार है	तारीख जिस पर दस्तावेज प्रतियां उचित कार्यालय में वापिस कर दी गई	वह तारीख जिस पर प्रतियां परिदत्त की गई थीं या अप्रयुक्त फोलियो और स्टाम्प वापस की गई
7	8	9	10	11	12

टाइपिस्ट या कॉपिस्ट का नाम	कॉपी परिदत्त करने की तारीख	पक्षकार के हस्ताक्षर	सचिव के हस्ताक्षर	टिप्पणी
13	14	15	16	17

प्ररूप संख्या-X

[नियम 20(3) देखें]

दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन

अभ्यावेदन की तारीख	आवेदन की संख्या	मामले की संख्या और प्राधिकारी का पदनाम जिसके रिकार्ड का निरीक्षण किया जाना है।	आवेदक का नाम	दस्तावेज का विवरण	जब दस्तावेज का निरीक्षण किया गया	जमा कि गई फीस की रकम	पक्षकार के हस्ताक्षर	सचिव के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप संख्या-XI

[नियम 27(iii) देखें]

अधिकरण में रजिस्टर या प्रकीर्ण न्यायिक मामले

क्रम संख्या	आवेदन की तारीख, कार्यवाही के निर्देश	अधिनियम और अधिनियम की धारा जिसके अधीन प्रस्तुत था आरम्भ की गई है	पक्षकारों का नाम	मामले की विशिष्टियां	आक्षेपकर्ता का नाम यदि, कोई है	आदेश पारित और तारीख	टिप्पण (इस स्तम्भ में अपील या पुनरीक्षण पर पारित आदेश, यदि कोई है, की विशिष्टियां दर्ज की जाएंगी)
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप संख्या-XII

[नियम 27(iv) देखें]

राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के न्यायालय में याचिका और न्यायालय फीस का रजिस्टर

क्रम संख्या	दस्तावेज की प्रकृति	मामले की संख्या यदि कोई है, जिसमें पारित किया गया है	तारीख	प्रक्रिया-फीस	शपथ पत्र फीस	आदेश फीस	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप संख्या-XIII

[नियम 27(v) देखें]

निपटाई गई अपीलों का सांख्यिकीय और कालिक रजिस्टर

अपीलों के रजिस्टर में अपील की संख्या	1.
इस रजिस्टर में अपील की क्रम संख्या	2.
अन्य न्यायालय को अन्तरित किए गए	3.
व्यतिक्रम के लिए खारिज, अन्यथा अभियोजित नहीं	4.
विचारण में दखल की हुई दिनों की कुल संख्या	5.
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI के नियम-II के अधीन पुष्टि किए गए विनिश्चय	6.
पुष्टि किए गए	7.
उपांतरित	8.
एक पक्षीय सुनवाई किए गए	
आरक्षित	9.
प्रतिप्रेषित	10.
पुष्टि	11.
उपांतरित	12.
सविरोध	
आरक्षित	13.
प्रतिप्रेषित	14.
स्तम्भ 6 से 14 में दर्ज की गई अपीलों के विचारण में दखल किए गए दिनों की कुल संख्या	15.
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI , नियम 22 के अधीन आक्षेप	16.
टिप्पण	17.

प्ररूप संख्या –XIV

[नियम 27(vii) देखें]

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध पारित रिट याचिका का रजिस्टर

क्रम संख्या	ओ0जे0सी संख्या	उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से सूचना की तारीख	उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से अभिलेख के लिए अध्यापेक्षा की तारीख	मोटर यान अपील या पुनरीक्षण जिसके विरुद्ध इसे पारित किया गया है
1	2	3	4	5

रिट याचिकाकर्ता का नाम	अनुपालन की तारीख	परिणामों की सूचना की तारीख	राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश की संसूचना की तारीख	टिप्पण
6	7	8	9	10

प्ररूप संख्या–XV

[नियम 27(viii) देखें]

क्रम संख्या	दस्तावेज का नाम और प्रकृति (स्थायी या अस्थायी)	नाशकरण की सम्यक् तारीख	नाशकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले लिपिक का नाम	नाशकरण को अनुमोदन करने वाले अधिकरण के आदेश की तारीख	नाशकरण की वास्तविक तारीख	टिप्पण (त्रुटि के कारण, यदि दस्तावेज नाशकरण की तारीख के परे भी रखा जाता है)
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप संख्या–XVI

[नियम 30 देखें]

.....को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या

क्रम संख्या	मामलों के प्रकार	तिमाही के प्रारम्भ में लंबित मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान पारित किए गए मामलों की संख्या	निपटान के लिए प्रतीक्षारत मामलों की कुल संख्या	तिमाही के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	1. मोटर (यान) अपील मामले 2. मोटर (यान) पुनरीक्षण मामले 3. अन्य मामले				

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-E(3)-41/2018-III dated 25-07-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 25th July, 2023

No.TPT-E(3)-41/2018-III.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 96 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposed to make Himachal Pradesh State Transport Appellate Tribunal draft rules, 2023 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the General Public;

If any person, likely to be affected by these draft rules, has any objection(s) or suggestion(s) to make with regard to these rules, he/she may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within a period of seven days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government of Himachal Pradesh before finalizing the said draft rules, namely:—

CHAPTER-I

General

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Transport Appellate Tribunal Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

- (i) "**Act**" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (ii) "**appeal**" means the memorandum of appeal filed under section 89 of the act before the Tribunal;
- (iii) "**Court**" means the place where the Tribunal holds its sitting;
- (iv) "**Form**" means a Form appended to these rules;
- (v) "**Government**" means the Government of Himachal Pradesh;
- (vi) "**party**" means the appellant, respondent or opposite party and includes his pleader or authorised agents;
- (vii) "**pleader**" means a pleader as defined in clause (15) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908;
- (viii) "**Presiding Officer**" means the Presiding Officer of the State Transport Appellate Tribunal;
- (ix) "**revision application**" means an application to the State Transport Appellate Tribunal made under Section 90;
- (x) "**Secretary**" means the person who for the time being is discharging the functions of the Secretary of the Tribunal;
- (xi) "**Section**" means a section of the Act;
- (xii) "**State Representative**" means an officer appointed by the State Government to receive on behalf of the Regional Transport Authorities or the State Transport Authority notices issued by the Tribunal and includes an officer appointed to act on his behalf in his absence; and
- (xiii) "**Tribunal**" means the State Transport Appellate Tribunal, Himachal Pradesh, constituted under sub-section (2) of section 89.

(2) All words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act and the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999.

CHAPTER-II

Headquarters, sitting and office hours

3. Headquarter.—(1) The Headquarter, of the Tribunal shall be at Hamirpur, District Hamirpur in Himachal Pradesh or at such other place as may be notified by the Government from time to time.

(2) All appeals and revision applications shall ordinarily be heard at the Headquarter:

Provided that the Presiding Officer may decide that an appeal or revision application may be heard at another place in the State of Himachal Pradesh after due intimation to the parties.

4. Office hours.—The Tribunal shall hold its sittings during the same hours as in the case of other offices of the State Government.

CHAPTER-III

Appeal and revision application

5. Appeal.—(1) An appeal shall lie to the Tribunal within thirty days of receipt of the order appealed against:

Provided that if any doubt arises as to the date of the receipt of the order by the person aggrieved, the decision of the Tribunal shall be final.

(2) No appeal shall relate to more than one order and be signed and presented by or on behalf of more than one aggrieved party.

(3) An appeal shall be in the form of a memorandum in duplicate setting forth concisely the grounds or objection to the order appealed against and shall be accompanied by the original or certified copy of the order appealed against alongwith treasury challan showing the deposit of the fee prescribed under sub-rule (5):

Provided that no appeal as aforesaid shall be deemed to have been made properly unless the names of the respondents are described in the case title of the memorandum and unless copies of the appeal memo are filed simultaneously for service on them as well as on the original authority.

(4) The Tribunal, after the appeal is admitted, shall give the parties not less than thirty days' notice of the date, time and place at which the appeal will be heard and both the parties within fourteen days of the receipt of such notice, forward to the Tribunal a list of documents upon which they propose to rely together with copies of such documents in duplicate:

Provided that the Tribunal may, on a petition made by the appellant at its discretion dispense with the above notice of 30 days for hearing the appeal and also for production of the documents to be relied by the parties within 14 days as specified above, if, he is satisfied that the above periods as prescribed shall occasion a failure of justice or render the appeal infructuous and in such cases may limit the period of such notice to not less than 7 days after the appeal is admitted.

(5) The fee for an appeal shall be Five Hundred rupees and shall be paid in Government treasury under the Head "0041-Taxes on Vehicles."

6. Revision.—(1) The provisions of rule 5 laying down the manner of presentation, hearing and disposal of an appeal, shall apply *mutatis mutandis* in regard to the presentation, hearing and disposal of petition of revision.

(2) The fee for an application of revision shall be rupees Five hundred and fifty only and be paid to Government treasury under the same Head as mentioned in sub-rule (5) of rule 5.

7. Appeal or revision filed by a pleader.—(1) In case an appeal or revision application is presented to the Secretary by the pleader such appeal or revision application shall be accompanied by a vakalatnama duly accepted by the pleader and shall bear a court fee stamp as provided in the Court-fees Act, 1870.

(2) In every appeal or revision application in addition to the parties before appropriate authority the Regional Transport Authority or the State Transport Authority or the Secretary of either authority, as the case may be, shall also be made respondent.

(3) In every appeal or revision application the memorandum shall also furnish the name and full address of appellant or applicant and all the respondents/opposite parties.

8. Registration of appeals and revision applications.—(1) On receipt of an appeal or revision application the Secretary shall endorse on it the date of its receipt and shall enter the same in Form No. I. The Secretary shall thereafter examine—

(a) whether the person, presenting it, has an authority to do so;

(b) whether it conforms to the provisions of the Act and these rules.

(2) If the Secretary finds, that the appeal or revision application does not conform to the requirements of the Act or these rules, he shall make an endorsement directing the parties to remove the defect within seven days and cause it to be entered in the remarks column of Form No. I and paste it on the notice board of the Tribunal and also intimate the party presenting the appeal on the revision application.

(3) If the defect or defects is or are not removed within the date fixed, the Secretary shall make a report to that effect to the Presiding Officer of the Tribunal who may hear the matter on giving the notice of such hearing to the party and the State Representative, if any, in Form No. II.

(4) On the date fixed for such hearing the Presiding Officer of the Tribunal may after hearing the parties, if any, pass orders directing the admission of appeal or revision application or its rejection or such other order as he deems proper. Where the appeal or revision application is rejected the Tribunal shall record its reasons for doing so.

(5) When an appeal or revision application is presented, the Secretary shall cause the particulars of such appeal or revision application entered in the register in Form No. III and such entries shall be numbered in every year according to the order in which they are registered. If the memorandum of appeal or revision application is in order, the Tribunal shall admit the appeal or revision, as the case may be :

Provided that where more than one appeal or revision application are filed against the same order, they shall be all clubbed together and disposed of by one common order.

9. Procedure after admission of appeal or revision.—If an appeal or revision application has been admitted, the Tribunal shall fix a date of hearing and notice of the date fixed for hearing shall be issued to the parties concerned by registered post with acknowledgement due in Form No. IV. A copy of the memorandum of appeal or revision application shall be furnished to the respondents or opposite parties, as the case may be.

CHAPTER-IV

10. Hearing, adjournment and final order.—On the date fixed for hearing or any other date to which the hearing may be adjourned the applicant shall ordinarily be heard first in support

of his appeal or application and the respondent or his pleader or agent and the State Representative shall if necessary be heard next after which the appellant or applicant shall be entitled to reply.

11. Additional evidence.—(1) The parties to the appeal or revision application shall not be entitled to, produce additional evidence whether oral or documentary before the Tribunal, except in the following circumstances:—

- (a) if the authority from whose order the appeal or revision application is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted; or
- (b) if the party seeking to adduce additional evidence satisfies the Tribunal that such evidence, notwithstanding the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at or before the time when the order under appeal or revision was passed; or
- (c) if the Tribunal requires any documents to be produced or any witness to be examined to enable it to pass just order; or
- (d) for any other sufficient reason, the Tribunal may allow such evidence or documents to be produced or witnesses examined:

Provided that where such evidence is received the other party shall be entitled to produce rebutting evidence, if any.

(2) If the Tribunal is of the opinion that any witness should be examined in connection with any case before it, it may instead of examining him before itself, issue a commission to the concerned Regional Transport Authority or the State Transport Authority, as the case may be, or to an advocate or such other suitable person as it may deem fit in the circumstances of the case, as mentioned in Order XXVI of CPC, for the purpose of examining such witness.

12. Summons to persons for additional evidence.—(1) Where additional evidence is allowed to be produced, a party who wants any person to be examined as a witness or to cause production of documents, may apply to the Secretary for, summoning the person whose attendance is required either to give evidence or to produce documents or both and the Secretary shall issue summons in Form No. V to the party for service on the person concerned.

(2) Where the person to be summoned is a public servant, the party shall alongwith the application for summons, deposit before the Secretary a sum of money as appears to the Tribunal to be sufficient to defray the travelling and other expenses of such person summoned for coming to the Tribunal and back and/or one day's attendance.

(3) Where the person to be summoned is not a public servant, on the application of the party, the Tribunal may summon the person concerned.

13. Adjournment.—(1) The Tribunal may on such terms as it thinks fit and at any stage adjourn the hearing of any appeal or revision application.

(2) An application for adjournment may be presented with an affidavit of the party or a person acquainted with the facts of the case.

(3) All applications including the application for an adjournment shall be required to be stamped with a Court-fee as provided in the Court-fees Act, 1870:

Provided that this sub-rule shall not apply to the State Transport Authority or Regional Transport Authority or any other Transport Authority appearing before the Tribunal.

14. Procedure in case of death of an appellant or an applicant.—(1) If any appellant or revision applicant dies while the appeal or revision application is pending and it cannot be proceeded with unless his legal representative is brought on record, the Tribunal shall adjourn further proceedings to enable the representative to apply for being made a party the appeal, or, as the case may be, to the revision application. If the legal representative fails to do so within ninety days from the date of such death of the appellant or revision applicant, the appeal or revision application shall abate as regards such deceased appellant or applicant, as the case may be.

(2) If any respondent or opposite party dies during the pendency of an appeal or revision application and the same cannot be proceeded with without his legal representative being made a party, the appellant or applicant, as the case may be, shall, within ninety days of the death of the respondent or opposite party, apply to the Tribunal of joining the legal representatives as parties failing which the appeal or revision application shall abate as regards the deceased respondent or opposite party.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2) there shall be no abatement of an appeal or revision application by reason of the death of any party between the conclusion of the hearing and passing of the order, and the order in such a case, so passed in such appeal or revision shall have the same force and effect as if it had been passed before the death took place.

15. Determination of legal representative.—(1) If a question arises in any appeal or revision application whether or not a person is the legal representative of a deceased appellant or applicant, such question may be determined by the Tribunal in summary, if necessary after taking evidence.

(2) Whenever an order of abatement has been passed in a case where the appellant or applicant had died, his legal representative, and in a case where the respondent has died, the appellant or applicant may within sixty days from the date of such order apply to the Tribunal for setting aside the order of abatement and the Tribunal may, on sufficient cause being shown to its satisfaction, set aside the order of abatement and proceed with the appeal or revision application.

(3) Where an application under sub-rule (2) has been filed after sixty days from the date of the order the Tribunal may condone the delay on a separate application filed for the purpose, on being satisfied that he has just and sufficient reason for not making the application in time or that he has been prevented from making such application for good and sufficient reasons.

16. Order.—(1) Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be pronounced in open Court immediately after completion of hearing or on the date fixed for the purpose.

(2) If no date is fixed for pronouncing the order, the order shall be pronounced in open Court after giving notice to the parties.

(3) The Tribunal shall serve a copy of the order on the authority against whose order the appeal or revision application is preferred.

17. Return of documents.—The documents shall be returned to the parties concerned immediately after the order is passed on receipt of an undertaking from them that they shall produce the documents whenever the Tribunal calls for the same.

CHAPTER-V

Miscellaneous

18. Inspection of records and copies.—(1) Any party to any proceeding before the Tribunal may apply to the Secretary for the inspection of any documents, or for a certified copy of any document and the orders of the Tribunal and orders of the original authority.

(2) Application for copies or for inspection of documents shall be in Form No. VI or Form No. VII, as the case may be, and shall set out the name and address of the applicant in full, the date and description of the documents of orders of which copies are required or which is/are sought to be inspected and the purpose for which they are required.

(3) A Court-fee stamp of the value of fifty paise shall be affixed to every such application for inspection or for copy.

(4) (a) Certified copies of documents or orders shall be prepared on foolscap paper with one inch margin either side and typed in double space.

(b) Certified copies of documents or orders shall be delivered by the Secretary to the party concerned on payment of fee specified in clause (c) towards the cost of preparing the copies.

(c) A fee of rupees two in the shape of Court-fee stamp shall be collected for every page of a certified copy.

(5) If the Secretary entertains any doubt about the propriety of granting the Copy of any documents he shall place the application before the Presiding Officer and act in accordance with his order.

19. Service of notices.—(1) The notices required to be issued under these rules shall be sent to the parties by registered post with acknowledgment due as per the address furnished in the appeal or revision application. An acknowledgment containing the signature of the addressee, member of his family or his pleader or his authorised agent to whom delivered or an endorsement by the postal authorities to the effect that the notice was refused by the addressee shall unless the contrary is proved be deemed to be sufficient for the purpose of service of such notice.

(2) Where the Tribunal is satisfied that the addressee is evading or that it is not possible to serve the notice in the ordinary way it may direct that the notice may be sent to the last known address of the party by registered post and a copy of the notice shall be affixed on its notice board. The notice so served shall be deemed to be sufficient.

20. Maintenance and preservation of Records and Register.—(1) All miscellaneous petitions shall be entered in the register in Form No. VIII and numbered *seriatim*.

(2) An application for copies of documents or orders on registration shall be entered in the register in Form No. IX and numbered *seriatim*.

(3) All applications for inspection of documents on registration shall be entered in a register in Form No. X and numbered *seriatim*.

21. Classification of records.—The records of the Tribunal shall be divided into three classes—

-
- (i) Appeals under section 89;
 - (ii) Revisions under section 90; and
 - (iii) Miscellaneous cases.

22. Arrangements of records in the Court or the Tribunal.—(1) Every record shall be ordinarily preserved for periods noted against each.

File A	6 years
File B	3 years
Files C and C.	1 year

(2) Every record under Clause (i) of rule 21 shall consist of four files namely, files A, B, C, and C.I.

(3) Every record under Clauses (ii) and (iii) of rule 21 shall each consist of the files C and C.I.

(4) File A shall contain—

- (i) Table of contents or Index page
- (ii) Order-sheet;
- (iii) Appeal;
- (iv) Judgement or order;
- (v) Counters, if any, filed by the respondents;
- (vi) Copy of the judgement of the High Court or Supreme Court, if any,

(5) File B shall contain—

- (i) Table of contents;
- (ii) Report together with any schedule annexed thereto of the State Transport Authority or Regional Transport Authority;
- (iii) Judgement or order;
- (iv) Copy of the judgement received from High Court or Supreme Court, if any.

(6) File C shall contain—

- (i) Table of contents;
- (ii) Order-sheet;
- (iii) Revision memo;

- (iv) All the evidence recorded by the Tribunal;
 - (v) Parawise report;
 - (vi) Lists of documents admitted in evidence (alongwith documents);
 - (vii) Judgement or order.
- (7) File C.I. shall contain—
- (i) Table of contents;
 - (ii) All other papers relating to the dispute, namely—
 - (a) Notices issued from the Court or Tribunal;
 - (b) Memorandum of appearances;
 - (c) Applications for adjournment;
 - (d) Haziras;
 - (e) Other correspondence.

23. Preservation of records.—The records shall be preserved for one year only in the following cases, namely:—

- (a) Where neither party appears in a case; and
- (b) where the case has been dismissed for default of the appellant or applicant.

24. Preparation of the records in the Court or the Tribunal.—(1) The table of contents shall be written in English day by day and shall show all the papers in the file in the order they had filed before the Tribunal. A separate serial No. (in Roman figure) will be assigned to the order-sheet and it will not be taken into account in giving page marks to the other papers in the file.

(2) The transfer of any Paper from one file to another file shall be noted in the table of both the files.

(3) Documents filed in any case and the exhibits are not to be entered in the table of contents, but their lists are to be shown in the table of contents.

25. The order-sheet.—(1) The order-sheet of the Tribunal shall be written in English and shall contain all the orders passed by the Tribunal from time to time in order to show the progress of the proceedings from first to last.

(2) Lengthy orders shall not be written in the order-sheet. It shall be written in a separate sheet, but a note of the order and the date on which it was made shall be entered in it.

26. Arrangement of the case records.—(1) The written statement and the additional written statement and other papers in every proceeding shall be attached as the case proceeds to the respective files to which they belong and shall be arranged properly in order to facilitate the Court. The depositions recorded from day to day shall be kept in order of examination.

(2) Documents marked for the appellant/applicant shall be marked with figures 1, 2 and 3 etc. and documents respondents opposite-party shall be marked A, B, C etc. and separate list (one for the applicant and other for the respondent) of such documents shall be prepared and signed by the Presiding Officer. The entries in these lists shall be made day by day. Then a document is tendered but not admitted in evidence, it shall be returned at once to the person producing it.

27. Maintenance of registers.—The Tribunal shall maintain the following registers for Court's work apart from the other registers required for administrative purposes, namely:—

- (i) Register of appeals filed before the Tribunal (in Form No. III);
- (ii) Register of revisions under section 90 (Complaints under this section shall be noted in red ink) (in Form No. III);
- (iii) Register of miscellaneous Judicial Cases (in Form No. XI);
- (iv) Register of Court-fees (in Form No. XII);
- (v) Statistical and periodical register of appeals disposed of (in Form No. XIII);
- (vi) Register of application for copies (in Form No. IX);
- (vii) Register of writ petition filed against the orders of the Tribunal in the High Court and Supreme Court (in Form No. XIV);
- (viii) Register for destruction of records (in Form No. XV).

28. Preservation of registers.—The registers maintained in the Tribunal shall be ordinarily preserved for the periods noted against each item as mentioned below:—

- (i) Registers of appeals and revisions filed before the Tribunal-12 years;
- (ii) Register of miscellaneous judicial cases-3 years;
- (iii) Register of Court-fees-6 years;
- (iv) Statistical and periodical registers-12 years;
- (v) Copy of application register-3 years;
- (vi) Register of writ cases filed in High Court and Supreme Court-3 years;
- (vii) Register for destruction of records-12 years.

29. Dismissal of appeal and re-admission of appeal dismissed for default.—(1) If on the day fixed or any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant or his advocate does not appear or does not remove the defects in the appeal memo, when appeal is called on for hearing the Tribunal may make an order that the appeal be dismissed.

(2) Dismissal of an appeal shall be notified to the authority from whose order the appeal is preferred.

(3) When an appeal is dismissed for any one of the above reasons, the appellant may apply to the Tribunal within thirty days from the date of dismissal of the appeal and where it is proved

that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing or from removing any defect on the appeal memo, the Tribunal may restore such appeal to file on such terms as it thinks fit.

30. Furnishing of return.—The Tribunal shall furnish a quarterly return in Form No. XVI to the State Government before expiry of the first fortnight of the following month.

31. Duties of the Secretary.—(1) The Secretary shall be the executive and shall be responsible for the administrative functions of the Tribunal.

(2) The Secretary shall also be responsible for the proper maintenance of all registers including Books of Accounts and shall make periodical inspections of the office and submit his reports to the Tribunal. He shall also be responsible for the submission of all periodical returns to the concerned authorities in time and shall also be responsible for the grant of copies, consignments or records and compliance with the orders and requisitions of the High Court and Supreme Court in all writ matters concerning the decisions of the Tribunal.

(3) The Secretary shall remain in charge of the routine duties of the Presiding Officer of the Tribunal during the absence of the Presiding Officer either on casual leave or on tour. He shall not, however, pass any judicial orders except adjourning the appeals and revisions during the absence of the Presiding Officer.

32. Tribunal's seal and date.—(1) There shall be a seal of the Tribunal, which should be affixed to all the orders and judgments and other important papers and notices issued by the Tribunal and it shall remain in the sole custody of the Presiding Officer or be delivered to the Secretary for safe custody.

(2) There shall be also date seal of the Tribunal which shall be affixed to all Papers filed before the Tribunal or received by the Tribunal. It shall remain in the safe custody of the Presiding Officer who may allow it to remain in the safe custody of the Secretary.

33. Local inspection and inspection of the vehicles and other properties.—(1) The Presiding Officer of the Tribunal may at any time during the pendency of the appeal or revision before it, visit the site or the vehicles concerned for the purpose of making a local inspection or examine any person likely to be able to give information relevant to the proceedings, after due notice to the parties concerned regarding the date of local inspection.

(2) Any party or authorised representative of such party or his advocate may accompany the Presiding Officer of the Tribunal for a local inspection.

(3) The Presiding Officer of the Tribunal after making a local inspection shall note briefly in a memorandum any facts observed and such memorandum shall form part of the record of the appeal or revision.

(4) The memorandum referred to in sub-rule (3) of rule 7 may be shown to any party or his advocate to the appeal or revision who desires to see it and a certified copy thereof may on application be supplied to any such party.

34. Production of motor vehicle for inspection.—The Tribunal may, if it thinks fit, require the motor vehicle involved in the appeal or revision to be produced by the owner for inspection at a particular time and place to be mentioned by it, necessary in consultation with the concerned owner.

35. In interlocutory matters and in any other proceedings, the Tribunal shall examine the witness, make a brief memorandum of the substance of the evidence of each witness and such memorandum shall be signed by the Presiding Officer after it is read over and explained by the Bench Clerk and admitted to be correct by the concerned witness and it shall form a part of the record:

Provided that the evidence of any medical witness or any other expert witness shall be taken down as nearly as may be word for word.

36. Maintenance of diary.—The Tribunal shall maintain a brief diary of the proceedings of the appeals or revisions before it.

37. Steno's duties.—(1) Shorthand Typist may be employed to take down the judgments, order in appeals and revisions, provided that the Presiding Officer or the Tribunal attaches a certificate to the effect that the judgement has been recorded at his dictation and attests each page thereof by his signature.

(2) The steno shall consign the shorthand books to the record room.

38. Application of Limitation Act.—The provisions of sections 5 and 12 of the Limitation Act, 1963 shall, so far as may be, apply to appeals before the Tribunal.

39. Stay order.—Subject to such conditions as to partial compliance or the adoption of temporary measures as the Tribunal may in each case thinks fit to impose, it may suspend the order appealed against pending the decisions of the appeal or revision.

40. Consignment of records.—The Tribunal may in its discretion consign the disposed of records of appeals and revisions to the record room of the Revenue Department, Govt. of Himachal Pradesh at Hamirpur.

41. Maintenance of accounts.—Proper accounts pertaining to the office of the Tribunal shall be maintained by the Secretary with the help of one or more clerks, according to the financial rules of the Government under the instructions of the financial adviser attached to the Transport Department.

42. Miscellaneous cases.—(1) In all stay matters, restoration matters and matters relating to substitution of parties and abatement proceedings, there shall be registers in each case as Miscellaneous Case on contest of each such matter of proceeding.

(2) The Secretary of the Tribunal shall maintain a register of such Miscellaneous Cases.

43. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government in the Transport Department for decision.

44. Repeal and savings.—The Himachal Pradesh State Transport Appellate Tribunal Rules, order, notifications etc. if any notified/issued earlier is/are hereby repealed:

Provided that any order issued, appointment made, action taken and things done under any of the provisions of the rules notification, order etc. so repealed shall be deemed to have been validly issued, made, taken and done under the provisions of these rules.

By order,

R. D. NAZEEM, IAS
Principal Secretary (Transport).

FORM NO. I

[See rule 8 (1)]

Daily list of appeals/revision applications

Day of..... 20.....
Before.....

Class and number in the register of revisions/ appeals	Name of the first appellant/ applicant	Name of the first respondents/ opposite party	First date fixed for the appeals/ revisions	Purpose (summons or notice, defect etc. for which the date has been fixed)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

FORM NO.-II

[See rule 8 (3)]

State Transport Appellate Tribunal, Himachal Pradesh

Appeal No..... of..... 20.....
Revision No.....

Appellant/Applicant/Petitioner.....

Versus

Respondent/Opposite party.....

To

The above-named appellant/petitioner

Please take notice that the appeal/revision filed by you against the order of the..... passed in proceedings..... dated.....has been placed before the State Transport Appellate Tribunal for orders regarding admission as it is defective as already intimated to you. The State Transport Appellate Tribunal will hear the matter on..... If you want to be heard, you should be present at the hearing in person or through your pleader or an authorised agent. If you fail to do so, the State Transport Appellate Tribunal will pass orders in your absence.

Given under my hand and the seal of the State Transport Appellate Tribunal.

Seal :

By order,

Date :

Secretary

Copy to the State Representative

FORM NO.-III

[See rules 8 (5) and 27 (i)(ii)]

Register of motor vehicles appeals/revisions instituted in State Transport Appellate Tribunal

Date.....

Sl. No.	Date of appeal/ revision	Name and residence of the appellant/ petitioner	Name and residence of the respondent/ opposite party	Authority which passed the order under appeal/ revision
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Number and year of proceeding	Date of order	Particulars of order	Date of decision of appeal/ revision	Order on appeal/ revision
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Actual number of days intervening between institution and disposal	Date on which record sent to the High Court	Date on which the record received from the High Court	Date of delivery of record room
(11)	(12)	(13)	(14)

FORM NO.-IV

[See rule 9]

State Transport Appellate Tribunal, Himachal Pradesh

Appellant

Revision applicant
*Versus*Appeal, Revision Applicant
No.....

Respondent/Opposite Party

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

To

(The above named parties)

Please take notice that the above appeal/revision filed by the above named appellant/applicant against the orders of..... passed in proceedings..... dated..... stands

posted for hearing on..... at 10. A.M. at the office of the State Transport Appellate Tribunal, Himachal Pradesh at Hamirpur.

You may appear on the above date and on other dates to which the hearing may be adjourned thereon in person or by pleader or by an authorised agent to represent your case, failing which the appeal/revision application will be disposed of in our absence.

Given under my hand and the seal of the State Transport Appellate Tribunal.

Seal :

By order,

Date :

Secretary

Copy to the State Representative with copies of appeal or revision, memorandum copy of order.

Note.—Copy of the appeal or revision application shall be enclosed to the notices sent to each of the respondent.

FORM NO. V

[See rule 12 (1)]

The State Transport Appellate Tribunal, Himachal Pradesh

Appeal.....No.....of Application

Appellant/Applicant

Respondent/Opposite Party

Whereas your attendance is required to give evidence on behalf of applicant/petitioner/respondent, in the above appeal/petition, you are hereby required personally to appear before this Tribunal at.....O'clock and/or to bring with/or cause the production of.....(description of documents to be produced).

A sum of Rs.....being your travelling and other expenses and subsistence allowance for one day is deposited in this Tribunal and it shall be paid to you on the day of your appearance before this Tribunal. If you fail to comply with this order without lawful excuse, the Tribunal may impose on you such fine not exceeding Rs. 1000 as it thinks fit and may order your property or any part thereof, to be attached and sold for the purpose of satisfying all costs of attachment together with the amount of the said fine, if any.

Notes.—(1) If you are summoned only to produce document and not to give evidence, you shall be deemed to have complied with the summons if you cause such document to be produced in this Court on the day and hour aforesaid.

(2) If you are detained beyond the day aforesaid, a sum of Rs..... will be tendered to you for each day's attendance, beyond the day specified.

FORM NO.-VI
[See rule 18 (2)]

Form of application for copy of the documents or orders

To

The
Secretary,
State Transport Appellate Tribunal, Himachal Pradesh.

(25 paise Court-fee stamp will be affixed)

1. Name and address of the applicant in full...
2. Description of document or order, copy of which is required...
3. Reference No. of the file of the Transport Appellate Tribunal in which the document of order is available.....
4. Purpose for which copy is required...

Date.....

Signature of the applicant.

FORM No.-VII

[See rule 18 (2)]

Form of application for inspection of documents

To

The
Secretary,
State Transport Appellate Tribunal, Himachal Pradesh

(25 paise Court-fee stamp shall be affixed)

1. Name and address of the applicant in full...
2. Description of the documents sought to be inspected...
3. Reference No. of the record in which it is available...
4. Purpose for which the inspection is required...

Date.....

Signature of the applicant.

FORM NO.-VIII

[See rule 20 (1)]

Register of miscellaneous petitions

Sl. No.	Number of the miscellaneous petitions and No. of appeal or revision application	Date of application	Date of disposal	Result	Actual number of days intervening between institution and disposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

FORM NO.-IX

[See rules 20 (2) and 27 (vi)]

Register of application for copies in the Court of the State Transport Appellate Tribunal

Sl. No.	Name of application	Date of application	Nature of document of which copy is applied for and number of year and case in which filed	Date of notifying requisite number of folios and stamps	Date of putting requisite folio and stamps or deficit in respect thereof	Date on which document to be copied was received in copying Deptt.	Amount of Court-fee filed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Number of folios and the amount of Court-fee used	Date on which copy is ready for delivery	Date on which document copies were returned to proper office	Date on which delivery was taken or unused folios and stamps returned	Name of the typist or copyist	Date of delivery of copy	Signature of party	Signature of Secretary	Remarks
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

FORM NO. XIII

[See rule 27 (v)]

Statistical and periodical register of appeals disposed of

Number of appeal in register of appeals	...	1		
Serial number of appeal in this register	...	2		
Transferred to other Courts	...	3		
Dismissed for default, or otherwise not prosecuted	...	4		
Aggregate number of days occupied in trial	...	5		
Decision confirmed under Order XLI, Rule 11 of Code of Civil Procedure	...	6		
Confirmed		...	7	
Modified		Heard Ex parte	...	8
Reserved			...	9
Remanded	...		10	
Confirmed		...	11	
Modified		Contested	...	12
Reserved			...	13
Remanded			...	14
Aggregate number of days occupied in trial of appeals entered in Columns 6 to 14	...		15	
Objection under Order XLI, Rule 22 of Code of Civil Procedure	...	16		
Remarks	...	17		

FORM NO.-XIV

[See rule 27 (vii)]

Register of writ petitions filed against the orders of the State Transport Appellate Tribunal in the High Court and Supreme Court

Sl. No.	O.J.C. No.	Date of intimation from High Court or Supreme Court	Date of requisition for record from the High Court or Supreme Court	Motor vehicle appeal or revision against which it is filed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Name of the writ petitioner	Date of compliance	Date of intimation of results	Date of communication of the order of the High Court or Supreme Court to the State Transport Authority or Regional Transport Authority	Remarks
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

FORM NO. XV

[See rule 27 (viii)]

Register for destruction of records

Serial No.	Name and nature of document (permanent or temporary)	Due date of destruction	Name of Clerk submitting destruction report	Date of order of the Tribunal approving destruction	Actual date of destruction	Remarks (Reasons to mistake, if document is held over beyond the date of destruction)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM NO. XVI

[See Rule 30]

Number of cases disposed of by the State Transport Appellate Tribunal for the quarter ending

Serial No.	Cases by types	No. of cases pending at the beginning of the quarter	No. of cases filed during the quarter	Total No. of cases awaiting disposal	Number of cases disposed of during the quarter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	Motor	Vehicles	appeal	cases
2.	Motor	vehicles	revision	cases
3.	Other cases.			

—————

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th April, 2023

No. TPT-C(9)-7/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks **HP 17H** to Registration & Licensing Authority, Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order,

R.D. NAZEEM,
Principal Secretary (Transport).

—————

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th July, 2023

No. GAD-B(A)1-1/2022.—In continuation to this department notification of even number dated 19-01-2023, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify that administrative boundaries of all the Districts, Sub-Divisions, Tehsils, Sub-Tehsils, Blocks, Villages, Towns, Wards etc. shall now stand frozen with effect from 1st January, 2024 instead of 1st July, 2023, till Census is over.

By order,

Sd/-
BHARAT KHERA,
Principal Secretary.

—————

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th July, 2023

No. UD-B(14)-1/2020.—Consequent upon the disqualification by Director Urban Development, Himachal Pradesh *vide* his Order No. UD-H(D)(C)-13/2021-Complaint-3489-90,

dated 18th May, 2023 and in exercise of the powers conferred by sub-section(f) of Section 18 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with State Election Commission, H.P. is pleased to remove Sh. Surender Sharma s/o Sh. Jagdish Chand, Member of Ward No. 2, Nagar Panchayat Arki, Distt. Solan, H.P. of being an office bearer of Nagar Panchayat Arki with effect from the date he was disqualified.

By order,

DEVESH KUMAR,
Pr. Secretary (UD).

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 31st July, 2023

No. UD-A(1)-13/2023.— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members (Government Nominee) in Nagar Panchayat Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh:—

- i. Sh. Sandeep Jain s/o Sh. Bodh Raj Jain, Jain Street, House No. 24, Ward No. 3, V.P.O. & Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.
- ii. Sh. Kapil Sharma s/o Late Sh. Sohan Lal, Ward No. 5, V.P.O. & Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.
- iii. Smt. Manorma Devi w/o Sh. Sandeep Kumar, Vill. Doli Gharana, Ward No. 6, P.O. & Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

By order,

DEVESH KUMAR,
Pr. Secretary (UD).

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 27th July, 2023

No. PBW (B&R)(B) F (7)-2/2018-I.—In continuation to this Department Notification of even number dated 08-03-2022, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the "**Recong Peo to Kalpa via Kalpa Bus Stand**" road in District Kinnaur, H.P. having a length of 8.280 km. as Major District Road No. 121 at Sr. No. 112. Accordingly, the total length of Major District Roads in the State will be 4777.230 kms.

By order,

Sd/-
(BHARAT KHERA),
Principal Secretary (PW).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th July, 2023

No. HHC/GAZ/14-391/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 180 days' maternity leave *w.e.f.* 26-09-2022 to 24-03-2023 in favour of Ms. Eeshani Sharma, Civil Judge-cum-JMFC, Court No. 2, Sundernagar.

Certified that Ms. Eeshani Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Eeshani Sharma would have continued to hold the post of the Civil Judge-cum-JMFC, Court No. 2, Sundernagar but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th July, 2023

No. HHC/GAZ/14-356/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 12 days earned leave *w.e.f.* 17-07-2023 to 28-07-2023 with permission to prefix Sunday falling on 16-07-2023 and suffix gazetted holiday, Sunday and local holiday falling on 29-07-2023, 30-07-2023 and 31-07-2023 respectively, in favour of Sh. Umesh Verma, Civil Judge-cum-JMFC, Tissa.

Certified that Sh. Umesh Verma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Umesh Verma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Tissa, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th July, 2023

No. HHC/GAZ/14-408/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 60 days earned leave *w.e.f.* 18-07-2023 to 15-09-2023, in favour of Smt. Ritu Sinha, Civil Judge-cum-JMFC, Palampur, H.P.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ms. Priya Dogra.	905	71 (LS)	70 ½ (LS)	Rev. Law -I=92 + Rev. Law-II=97 = 189 (WC)	105+2 Grace marks=107 (HS)	63+4 Grace Marks= 67 (HS)
2.	Sh. Shashi Kant.	906	44 (LS)	51 ½ (LS)	Rev. Law -I=82 + Rev. Law -II= 93 =175 (HS)	84 (LS)	49 ½ (LS)

(Poonam Mahajan),
Registrar Estt./ (O&A),
Superintendent, Departmental Examination
Committee.
17-07-2023.

(J.K.Sharma),
Registrar (Vigilance),
Secretary, Departmental Examination
Committee.
17-07-2023

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th July, 2023

No. HHC/GAZ/14-260/2003-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave *w.e.f.* 14-07-2023 to 22-07-2023 with permission to suffix Sunday falling on 23-07-2023 in favour of Sh. Rajesh Chauhan, Additional District & Sessions Judge (2), Shimla.

Certified that Sh. Rajesh Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Rajesh Chauhan would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (2), Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th July, 2023

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge-*cum*-JMFC, Baijnath as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Palampur and Civil Judge-*cum*-JMFC, Palampur and

also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishment attached to the aforesaid Courts under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Smt. Upasna Sharma, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Palampur *w.e.f.* 06-07-2023 to 20-07-2023 or till she returns from leave.

By order,

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th July, 2023

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Tissa and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Umesh Verma, Civil Judge-cum-JMFC, Tissa *w.e.f.* 17-07-2023 to 28-07-2023 with the permission to prefix Sunday falling on 16-07-2023 and to suffix gazetted holiday, Sunday and Local Holiday falling on 29-07-2023, 30-07-2023 and 31-07-2023 or till he returns from leave.

By order,

Registrar General.

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जुलाई, 2023

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-80/2021.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची-घ, जिसमें इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-80/2021, तारीख 07-01-2023 द्वारा संशोधन किया गया था और जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 10-01-2023 को प्रकाशित किया गया था; में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची 'घ' में क्रम संख्या: 2 पर दर्शाई गई वस्तु "डीज़ल" के सामने स्तम्भ संख्या 3 में विद्यमान अंकों, चिन्हों और शब्दों "9.96% या ₹7.40/- प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो" के स्थान पर "13.9% या ₹10.40/- प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो" अंक, चिन्ह और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उपरोक्त संशोधन दिनांक 14-07-2023 मध्य रात्रि से प्रभावित होंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(भरत खेड़ा)

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-80/2021, dated 14-07-2023 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 14th July, 2023

No. EXN-F(10)-80/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in SCHEDULE 'D' appended to the Act *ibid*, which was earlier amended *vide* this department notification number EXN-F(10)-80/2021, dated 07-01-2023 and published in Rajpartra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 10-01-2023.

AMENDMENT

In SCHEDULE 'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), in column No. 3 of the commodity shown against serial number 2 "Diesel" for the existing figure, signs and words "9.96% or Rs. 7.40/- per liter whichever is greater" the figures, signs and words "13.9% or Rs. 10.40/- per liter whichever is greater" shall be substituted.

The above amendment shall come into force with effect from 14-07-2023 midnight.

By order,

Sd/-

(BHARAT KHERA),

Pr. Secretary (ST & E).

In the Court of (Aprajita Chandel), HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Amar Singh (D.O.B. 11-10-1943) s/o Shri Kanshi Ram, r/o Village Mansoli, P.O. Rail, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) at present Village Chathiar, P.O. Balduhak, Tehsil Nadaun District Hamirpur (H.P.).

2. Savitri Devi (D.O.B. 20-02-1949) d/o Sh. Kehar Singh, r/o Village Chathiar, P.O. Balduhak, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Amar Singh s/o Shri Kanshi Ram, r/o Village Mansoli, P.O. Rail, Tehsil Nadaun District Hamirpur (H.P.) at present Village Chathiar, P.O. Balduhak, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and Savitri Devi d/o Sh. Kehar Singh, r/o Village Chathiar, P.O. Balduhak, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court of undersigned U/S 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 26-01-1963 at Village Mansoli, P.O. Rail, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and they are living as husband and wife since their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objection regarding this can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-08-2023 at 2.00 P.M., after that it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this day 28-06-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(APRAJITA CHANDEL) HPAS,
*Sub-Divisional Magistrate-cum-
Special Marriage Officer,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sh. Sanjay Kumar, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Naseeb Singh aged 30 years s/o Ran Singh, Village Paphah, P. O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Ankita Kumari d/o Sh. Madan Lal, Village Lower Barot, P.O. Paunta, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice of intended Marriage.

Sh. Naseeb Singh and Ankita Kumari have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who having any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-08-2023. In case no objection is received by 28-08-2023 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 11-07-2023.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Amit Kumar s/o Shri Purshotam Singh, r/o Village Nanot, P.O. Uhal, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Shilpa Thakur d/o Late Sh. Sahab Singh, r/o Village Dhargala, P.O. Singha Dhar, Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.) w/o Late Sh. Vinit Kumar, r/o Village Bari, P.O. Bhandal, Tehsil Salooni (Sunuh), Distt. Chamba (H.P.)
Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Amit Kumar & Smt. Shilpa Thakur have filed an application U/S 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in this court, stating therein that they have solemnized their marriage on 10-06-2023 as per the Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 28-08-2023. In case no objection is received by 28-08-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 20-07-2023.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Additional District Registrar of Marriages, Sub-Division Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Aditya Shiven s/o Sh. Anup Kaushal, r/o House No. 145, Ward No. 8, Naya Nagar, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)-177001.

2. Smt. Supriya Sharma d/o Sh. Dharam Prakash Sharma, r/o Village & P.O. Sub-Tehsil Pangna, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Registration of marriage under section 8 (3) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996

WHEREAS, an application under section 8 (3) of Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996 has been received from Sh. Aditya Shiven and Smt. Supriya Sharma alongwith documents and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 30-01-2023 and same could not be registered, under the act *ibid* in the office of the Registrar of Marriage-cum-Executive Officer, MC Hamirpur, District Hamirpur (H.P.) within Stipulated Period due to unavoidable circumstances.

NOW, THEREFORE, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding registration of this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 24-08-2023. In case no objection is received by 24-08-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 20-07-2023.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate-cum-
Additional District Registrar of Marriage,
Sub-Division Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Dr. Rohit Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur (H.P.) exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Rajesh Kumar age 32 years s/o Sh. Wattan Singh, r/o Village Jamli, P.O. Lafran, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Kajal age 30 years d/o Sh. Hira Lal, r/o House No. 1748, Upper Mohalla, Kalka (Haryana) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage

Mr. Rajesh Kumar and Ms. Kajal have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 26-06-2023 as per Hindu rites and customs at Kalka Mata Mandir, Tikkar Rajputtan, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 21-08-2023. In case no objection is received by 21-08-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 21-07-2023.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर :

आगामी सुनवाई : 26-09-2023

श्री सोनू शर्मा पुत्र श्री सुरेश कुमार उपनाम सुदेश कुमार, गांव लाहड़ कोटलू, मौजा भूमपल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्री सोनू शर्मा पुत्र श्री सुरेश कुमार उपनाम सुदेश कुमार, गांव लाहड़ कोटलू, मौजा भूमपल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 22-03-2023 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका लाहड़ कोटलू, मौजा भूमपल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में सोनू पुत्र श्री सुरेश कुमार उपनाम सुदेश कुमार दर्ज है परन्तु अन्य जगह सोनू शर्मा पुत्र श्री सुरेश कुमार उपनाम सुदेश कुमार दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के ही हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका लाहड़ कोटलू, मौजा भूमपल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में श्री सोनू शर्मा पुत्र श्री सुरेश कुमार उपनाम सुदेश कुमार करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-09-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किसम का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25-07-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर :

आगामी सुनवाई : 26-09-2023

श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री तरलोक चन्द, गांव कलूर, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री तरलोक चन्द, गांव कलूर, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 05-10-2019 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका कलूर, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में चमन लाल पुत्र श्री तरलोक चन्द दर्ज है परन्तु अन्य जगह अभिषेक कुमार पुत्र श्री तरलोक चन्द दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के ही हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका कलूर, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में श्री चमन लाल उपनाम अभिषेक कुमार पुत्र श्री तरलोक चन्द करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-09-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25-07-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती अनु देवी पत्नी कृष्ण कुमार, निवासी महाल निचला भलवाल, डा0 जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।

श्रीमती अनु देवी पत्नी कृष्ण कुमार, निवासी महाल निचला भलवाल, डा0 जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में शपथ—पत्र मय प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) अदालत हजा में प्रस्तुत किया है कि उसकी बेटी गुंजन का जन्म दिनांक 18-04-2018 को गांव निचला भलवाल में हुआ था परन्तु प्रार्थिया द्वारा उसकी पुत्री का जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर ग्राम पंचायत निचला भलवाल में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवाया गया है। अब प्रार्थिया ने अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-08-2023 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 20-07-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /NT/2023

तारीख पेशी : 11-08-2023

आरती देवी पुत्री श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव सुकैडी, डा0 कण्डी, हाल पत्नी हेम राज, निवासी गांव गौंट, डा0 कमलैहड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आरती देवी पुत्री श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव सुकैडी, डा0 कण्डी, हाल पत्नी हेम राज, निवासी गांव गौंट, डा0 कमलैहड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका जन्म गांव सुकैडी, ग्राम पंचायत कण्डी तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 27-05-1979 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत कण्डी के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-08-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न

होगा तथा आरती देवी पुत्री श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव सुकैडी, डा0 कण्डी, हाल पत्नी हेम राज, निवासी गांव गौंट, डा0 कमलैहड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत कण्डी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 09/2023

तारीख पेशी : 14-08-2023

श्री सांगर धिमान पुत्र श्री हरी राम, वासी गांव भ्रान्ता, डा0 साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री सांगर धिमान पुत्र श्री हरी राम, वासी गांव भ्रान्ता, डा0 साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसके पिता श्री हरी राम की मृत्यु दिनांक 10-05-1990 को गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई थी परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी द्वारा अपने पिता जी की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त श्री हरी राम पुत्र श्री खजाना राम की मृत्यु तिथि 10-05-1990 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-08-2023 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किसम का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री हरी राम पुत्र श्री खजाना राम की मृत्यु तिथि का पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत भ्रान्ता को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 15-07-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 33/Teh./2023

किस्म मु0 : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-08-2023

श्री प्रताप चन्द पुत्र डाहलू राम, निवासी गांव व डा0 हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

श्री प्रताप चन्द पुत्र डाहलू राम, निवासी गांव व डा0 हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं व अधिवक्ता श्री योगेश डोगरा हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व निवेदन किया है कि उसके पिता श्री डाहलू राम की मृत्यु दिनांक 02-1-1989 को गांव हारसी, ग्राम पंचायत हारसी, डा0 हारसी, तहसील जयसिंहपुर में हुई है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत हारसी को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री डाहलू राम पुत्र स्व0 श्री स्वारू राम की मृत्यु तिथि 02-01-1989 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-08-2023 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हारसी को जारी कर दिया जायेगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 13-07-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 11/TC/2023

तारीख पेशी : 21-08-2023

श्री राम कुमार शर्मा पुत्र किशोर चन्द शर्मा, निवासी महाल कोहलडी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.— नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री राम कुमार शर्मा पुत्र किशोर चन्द शर्मा, निवासी महाल कोहलडी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया कि पटवार वृत्त टिहरी के राजस्व महाल कोहलडी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसका नाम राम कुमार दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत टिहरी व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र में उसका नाम राम कुमार शर्मा दर्ज है। अतः दोनों नाम उसके सही नाम हैं तथा दोनों नामों से जाना जाता है, लेकिन कुछ एक दस्तावेजों में अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम राम कुमार शर्मा उपनाम राम कुमार दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-08-2023 को असातन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत ना होगा तथा प्रार्थी श्री राम कुमार शर्मा पुत्र किशोर चन्द शर्मा, निवासी महाल कोहलडी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम पटवार वृत्त टिहरी के महाल कोहलडी, मौजा टिहरी के अभिलेख में राम कुमार शर्मा उपनाम राम कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री पूर्ण चन्द कौण्डल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख दायर : 17-07-2023

मुकद्दमा नं० : 01/2023

तारीख पेशी : 17-08-2023

उनवान.—पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करना।

किनौरी देवी पुत्री रिडकू राम, गांव अन्दरली मलहां, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—इश्तहार राजपत्र बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थिया किनौरी देवी पुत्री रिडकू राम, गांव अन्दरली मलहां, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1980 को गांव अन्दरली मलहां, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा में हुआ है। जिसका जन्म तिथि पंजीकरण जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत पोलिंग के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इशतहार से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1980 को ग्राम पंचायत पोलिंग के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2023 को प्रातः 11.30 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
मुलथान, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Sh. Dalip Singh s/o Lt. Sh. Mehar Singh, r/o Village Dharampur, P.O. Kiarkoti, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Dalip Singh s/o Lt. Sh. Mehar Singh, r/o Village Dharampur, P.O. Kiarkoti, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of his daughter-in-law named—Lt. Smt. Anu in the record of Secy., Birth and Death, in Gram Panchayat Dhalli, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Death
1.	Lt. Smt. Anu	Daughter-in-Law	05-09-2017

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of death of above named in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Dhalli, Shimla, may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 26-07-2023 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Jhuna w/o Lt. Sh. Ram Singh, r/o Roop Basti, Verma Niwas, Junga Road Chaily, P.O. Panthaghati, Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Jhuna w/o Lt. Sh. Ram Singh, r/o Roop Basti, Verma Niwas, Junga Road Chaily, P.O. Panthaghati, Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her self name—Smt. Jhuna in the record of Registrar, Birth and Death, in Municipal Corporation, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Jhuna	Self	01-06-1980

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, in Municipal Corporation, Shimla (H.P.), may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 27-07-2023 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री श्याम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री कुलदीप राठौर पुत्र ज्ञान सिंह राठौर, निवासी ग्राम पौलिया, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री कुलदीप राठौर पुत्र ज्ञान सिंह राठौर, निवासी ग्राम पौलिया, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्रियों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्रियों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है:—

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	राज नन्दनी राठौर	पुत्री	13-02-2006
2.	राजश्री राठौर	पुत्री	19-12-2009
3.	राजस्वी राठौर	पुत्री	25-02-2019

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 19-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

श्याम ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री श्याम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सलोचना पत्नी स्व0 सन्दीप राठौर, निवासी ग्राम पौलिया, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थिया के बच्चों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती सलोचना पत्नी स्व0 सन्दीप राठौर, निवासी ग्राम पौलिया, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपने पुत्र व पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है:—

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	वैश्रवी राठौर	पुत्री	21-02-2009
2.	वत्सल राठौर	पुत्र	13-06-2010

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत

करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 19-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

श्याम ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां,
जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 178/NTBC/2023

किस्म दावा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 11-08-2023

हरी दास

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम हरी दास पुत्र मिलखी राम, वासी महाल बीहडू खुर्द, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल बीहडू खुर्द, जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 के अनुसार हरी राम पुत्र मिलखी राम दर्ज है। प्रार्थी हरी राम की बजाए हरी राम उपनाम हरी दास पुत्र मिलखी राम करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख बिहडू खुर्द, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 11-08-2023 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूत्रत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 17-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां,
जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 179/NTBC/2023

किस्म दावा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 14-08-2023

सुनीता देवी

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थिया ने एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम सुनीता देवी पुत्री प्रकाश चन्द, वासी महाल टीहरा खास, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल टीहरा खास, जमाबन्दी वर्ष 2017-2018 के अनुसार कुमारी सुनीता कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द दर्ज है। प्रार्थिया कुमारी सुनीता कुमारी की बजाए कुमारी सुनीता कुमारी उपनाम सुनीता देवी पुत्री प्रकाश चन्द करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल टीहरा खास, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 14-08-2023 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़,
जिला ऊना (हि0प्र0)

इश्तहार मुश्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

श्री हरनेश कुमार पुत्र श्री सोमनाथ, वासी कुठार बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री हरनेश कुमार पुत्र श्री सोमनाथ, वासी कुठार बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल कुठार बीत, मौजा कुठार बीत में उसका नाम हरमेश गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल कुठार बीत, मौजा कुठार बीत में उसका नाम हरमेश की बजाये हरनेश कुमार दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 25-08-2023 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
दुलैहड़, जिला रुना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Divinder Kaur Sharma w/o Sh. Brij Lal Sharma, r/o Village Dhotha, P.O. Rajwari, Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my service records my name is wrongly entered as Divinder Sharma. Whereas my correct name is Divinder Kaur Sharma. Please note.

DIVINDER KAUR SHARMA
w/o Sh. Brij Lal Sharma,
r/o Village Dhotha, P.O. Rajwari,
Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला -171 002, 31 जुलाई, 2023

संख्या: रैव डी (जी) 6-12/2016.—हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2023 के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 25-04-2023 द्वारा, हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 की उप-धारा(2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 की उप-धारा(3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए 26-04-2023 को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) और सुझाव (सुझावों) पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और उन्हें अस्वीकृत किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-जोत, अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: रैव-डी (जी) 6-69/2011-पार्ट III तारीख 4-03-2014 द्वारा अधिसूचित और तारीख 05-03-2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 7 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के नियम 7 में, पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

“परन्तु राज्य सरकार किसी भी दशा में 40 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि प्रदान नहीं करेगी।”

आदेश द्वारा,

ओंकार चंद शर्मा,
प्रधान सचिव (राजस्व)।

[Authoritative English text of this department's Notification No. Rev-D (G) 6-12/2016, dated 31-07-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 31 July, 2023

No. Rev-D (G)6-12/2016.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2023 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 26-04-2023 for inviting objections and suggestions from the general public *vide* this Department's notification of even number dated 25-04-2023 as required under sub-section (3) of Section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) read with sub-section (2) of Section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973);

And whereas, the objection (s) and suggestions (s) so received in this behalf have been duly considered and rejected;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) read with Section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 notified *vide* this Department's notification No. Rev-D (G)6-69/2011 Part-III, dated 04-03-2014 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh dated 05-03-2014, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 7.—In rule 7 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013, for the first proviso the following shall be substituted, namely:—

“Provided that the State Government shall not grant the lease of land in any case for a period exceeding 40 years.”

By order,

ONKAR CHAND SHARMA,
Principal Secretary (Revenue).